भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2165
12 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

उद्यमिता प्रोत्साहन पहलों के लिए प्रयास

2165. श्री कंवर सिंह तंवरः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अमरोहा, हसनपुर, धनौरा, जोया, नौगावां सादात और मंडावर में महिला समूहों और युवाओं के लिए उद्यमिता विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करके स्थानीय उद्यमों को मजबूत करने और रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्यमिता और कौशल-उन्मुख प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता का आकलन किया है;
(ख) यदि हाँ, तो उक्त जिले में उद्यमिता प्रोत्साहन पहल, प्रशिक्षण मॉड्यूल, ऋण सुविधा और जिला स्तरीय जनसम्पर्क के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना / उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु एक केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले सहित सभी जिलों में खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्यमिता, कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है, जिसमें महिला समूह और युवा भी शामिल हैं।

यह योजना दिशानिर्देशों और पात्रता के अनुसार सभी इच्छुक आवेदकों के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से क्रेडिट- लिंक्ड अनुदान, 40,000 रुपये तक की बीज पूंजी, लाभार्थियों के लिए क्षमता निर्माण तथा ब्रांडिंग और विपणन का समर्थन प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए पात्र वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक में सभी आवेदकों अर्थात व्यक्तियों और समूहों जैसे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) / किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) / सहकारी समितियों को जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा अनुशंसित क्रेडिट लिंक्ड अनुदान का लाभ उठाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण में लगे प्रारम्भिक पूंजी के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) लाभार्थियों को प्रशिक्षण शामिल है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और खाद्य प्रसंस्करण डोमेन पर 779 प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जिनमें 199 प्रेजेंटेशन, 192 वीडियो, 190 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और 198 कोर्स कंटेंट / हैंडबुक शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के लिए, योजना के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक के अंतर्गत 142 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं। 147 लाभा र्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और योजना ने जिले में 426 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायता की है।

योजना की शुरुआत से ही मंत्रालय ने योजना के उपयोग को बढ़ाने और विभिन्न हितधारकों और सामान्य जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जागरूकता अभियान जैसे समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल, प्रदर्शनियां और प्रदर्शनी, मेले, क्रेता-विक्रेता बैठकें और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि जैसी विभिन्न पहल / उपाय किए हैं।

*****

अनुबंध

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तर हेतु "उद्यमिता प्रोत्साहन पहलों के लिए प्रयास" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2165 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन पीएमएफएमई)) योजन के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार हैं:

(i). *व्यक्तिगत :समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यम को सहायता /* पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिटलिंक्ड - कैपिटल सब्सिडी, जो प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए है;

(ii). *प्रारम्भिक पूंजी के लिए एसएचजी को सहायता:* खाद्य प्रसंस्करण में लगे एसएचजी के हर सदस्य के लिए कार्यशील पूंजी और छोटे टूल्स खरीदने के लिए प्रारम्भिक पूंजी 40,000/- रुपए की दर से, जो प्रत्येक एसएचजी फ़ेडरेशन के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए है।

(iii). *सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता :*एफपीओ/ एसएचजी/ सहकारिताओं और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना सृजन में सहायता करने के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपए होगी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम लोगों के लिए भी क्षमता के पर्याप्त हिस्से के लिए हायरिंग बेसिस पर इस्तेमाल करने हेतु उपलब्ध होगी।

(iv). *ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट:* एफपीओ/ एसएचजी/ सहकारिताओं के समूह या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 50% तक अनुदान।

(v). *क्षमता निर्माण:* इस योजना में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम)ईडीपी) के लिए प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई है जिसे ,खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने और उत्पाद विशिष्ट कौशल के लिए मॉडिफाइड किया गया है।